15.5.18.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(भूमि संरक्षण निदेशालय) झारखण्ड, राँची

कार्यालय – भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज

वित्तीय वर्ष 2018–19 में डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण के लिए "जलनिधि" नामक योजना

झारखण्ड राज्यनान्तर्गत कृषि को बढ़ावा देने, बहुफसलीय कृषि के विकास, मानसुन पर कृषकों की निर्भरता कम करने हेतु विभिन्न श्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण हेतु "जलनिधि" नामक एक नयी योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गयी है। जिससे कृषि योग्य भूमि को सिंचित और बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

योजना का स्वरूप

(i) डीप बोरिंग की योजना

कार्य योजना	पत्रता	अनुदान की राशि		
		अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	पानी पंचायत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
योजना अंतर्गत 6 ईंच Diameter deep boring Submersible pump 1.5 HP, आवश्यक Accessories एंव संस्थापन (Installation) के साथ	योजना लघु एवं सिमांत कृशक समूहों के लिए लागू होगा विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्चयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्युनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।	3.50 लाख	90 प्रतिशत (3.15 लाख)	10 प्रतिशत (0.35 लाख)

2. परकोलेशन टैंक

कार्य योजना	पात्रता	अनुदान की राशि		
		अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	कृषक समूह का अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
Length of Percolation Tank - 120ft. width of Percolation Tank - 100 ft. Depth of Percolation Tank -12ft. Length of Bound -370ft. Side Slope-1:1	समूहिक योजना लघु एवं सिमांत कृशक समूहों क लिए लागू होगा विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्चयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्युनतम 10 एकड़ भूमि होना अनिवार्य हागा।	4.70 लाख	90 प्रतिशत (4.230 लाख)	10 प्रतिशत (0.47 लाख)

डीप बोरिंग/परकोलेशन टैंक का आवदेन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30-05-2018 है।

कृषक/संस्था का चयन

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक/महिला कृषकों/इच्छुक कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा एवं पूर्व में जमा किये हुए आवेदन–पत्र एंव जिनके द्वारा पूर्व में पानी पंचायत का गठन कर कृषक अंशदान की राशि खाते में जमा करा दी गयी उनको प्रथमिकता दी जायेगी।

(ii) जिन कृषकों को पूर्व में डीप बोरिंग, सिंचाई पम्प का लाभ प्राप्त कराया जा चुका है, उनकी पात्रता

"जलनिधि योजना" के लिए मान्य नहीं होगा।

(iii) योजना के कार्यान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी एवं **योजना बनाओ अभियान** के तहत चयनित योजनाओं तथा माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जायेगी।

आवेदन की प्राप्ति

(i) भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सुपात्र कृषकों से विहित प्रपत्र–I में आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज के कार्यालय से निशुल्क आवेदन–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) आवेदन–पत्र का प्रारूप विभागीय वेब साईट www.jharkhandsoil.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(iv) आवेदन–पत्र निम्न कागजातों के साथ भूमि संरक्षण कार्यालय, डालटनगंज में जमा लिया जायेगा।

1. संबंधित योजना ग्राम–सभा में पारित होनी चाहिए एवं पारित प्रस्ताव की छायाप्रति मुखिया द्वारा अभिप्रमाणित।
2. पानी–पंचायत गठित कर, रजिस्टर की छायाप्रति (क्षेत्रीय कर्मचारी/पदाधिकारी की उपस्थिति में) एवं पानी–पंचायत के गठन की फोटोग्राफी।
3. पानी–पंचायत का राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर कृषक–अंशदान की राशि के साथ बचत खाता की छायाप्रति। (चयनित अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त खाता)
4. लाभान्वित कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में। (मूल प्रति)
5. गाँव के नक्शे पर संबंधित योजना को चिन्हित कर नक्शे की छायाप्रति।
6. जमीन का अद्यतन रसीद /अंचलाधिकारी द्वारा भू–धारिता प्रमाण पत्र एवं पहचान–पत्र।

उक्त योजना से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए निम्न पत्ते पर संपर्क किया जा सकता है।

कार्यालय का पताः– भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज
योद्ध सिह महिला कालेज के सामने कृषि
विभाग के उपरी तल्ला डालटनगंज
दुरभाष संख्याः–06562–230223

अनुलग्नक :– स्वीकृत्यादेश सं० 01/24.4.18

ह0/
भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
डालटनगंज

ज्ञापांक 128 / मू0सं0 डालटनगंज /दिनांक 14-05-2018

प्रतिलिपिः– (1) प्रभारी पदाधिकारी, सिंगल विन्डो सेन्टर, ... को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध करना है कि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(2) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि प्रखण्ड सूचना पट्ट /पंचायत सचिवालय सूचना पट्ट पर विज्ञापन को प्रदर्शित किया जाय। अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को अपने स्तर से योजना से अवगत कराना सूनिश्चित करेंगें। ।

(3) उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का सूचनार्थ प्रेषित। भवदीय से आग्रह है कि जिला परिषद के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने की कृपा की जाय।

(4) अध्यक्ष जिला परिषद् पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला सूचना पदाधिकारी, NIC पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। आग्रह करना है कि District Portal पर Upload करने की कृपा की जाय।

(6) उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

14/5/18
भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
डालटनगंज

NE
P12 upload
15/5/18